भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1818

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

पश्चिम बंगाल में पीएम- श्री योजना

1818. **श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर न करने के पीछे क्या तर्क दिया गया है;
(ग) सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के बीच उक्त योजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के संबंध में कितनी बैठकें हुई हैं; और
(घ) पीएम श्री योजना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने से पश्चिम बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग): पश्चिम बंगाल राज्य ने अभी तक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस संबंध में, माननीय शिक्षा मंत्री ने दिनांक 13.03.2023, 09.10.2023 और 07.03.2024 को राज्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और पीएम श्री योजना कार्यान्वित करने का अनुरोध करते हुए पत्र संबोधित किए है। इसी प्रकार, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, डीओएसईएंडएल की ओर से दिनांक 15.09.2022, 06.02.2023 और 23.02.2024 को प्रमुख सचिव, पश्चिम बंगाल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने संबंधी पत्र प्रेषित किए गए हैं। हालाँकि, पश्चिम बंगाल राज्य से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
(घ): पीएम श्री योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करना है और यह केवल संज्ञानात्मक विकास पर ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से युक्त समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों को भी तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह योजना विभिन्न पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं की पूर्ति हेतु एक समान, समावेशी और आनंदमय अधिगम वातावरण तैयार करने पर भी केंद्रित है। इन स्कूलों को प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण में अपनेपन, देखभाल और सहायता-युक्त अनुभव सुनिश्चित करते हुए छात्रों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होने के परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल के छात्र पीएम श्री योजना के इन लाभों से वंचित हैं।

*****